राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 कैम्प ग्राम पंचायत साधूवाली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 88/2017

1. मोहनदीप सिंह पुत्र श्री जसपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एल.एन.पी (चक महाराज का) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. जसपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एल.एन.पी (चक महाराज का) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. रूपिन्द्र कौर पुत्री श्री जसपाल सिंह पत्नी श्री सर्वविरेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एल.एन.पी (चक महाराज का) तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल धरंगावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
3. रसपिन्द्र कौर पुत्री श्री जसपाल सिंह पत्नी श्री सतविन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन 2 एल.एन.पी (चक महाराज का) तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. बाबत विभाजन एवम् खातेदारी अधिकारों की घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता वादी
2. पैरोकाराज

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 09.06.2017

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी के पिता, प्रतिवादी संख्या 1 जसपाल सिंह के नाम से चक 2 एल.एन.पी के खाता संख्या 47/38 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत् 2068–2071) का मुरब्बा नम्बर 46 का किला नम्बर 24/2 (0.063), 25(0.253) = 0.316 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 55 का किला नम्बर 4 ता 7 (1.012), 14/2 (0.127), 15, 16, 25 (0.759) = 1.898 हैक्टर कुल 2.214 हैक्टर नहरी कृषि भूमि तथा चक 11 बी. जी. एस. तहसील सादुलशहर का खाता संख्या 41/25 का मुरब्बा नम्बर 50 की कुल 6.325 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 5.356 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 को विरासत में प्राप्त हुई है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

इस प्रकार उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 तथा वादी की पैतृक सम्पत्ति हैं तथा जद्दी जायदाद होने के कारण उक्त वर्णित पैतृक सम्पत्ति में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक बनता है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का वादी से बहुत स्नेह व लगाव है तथा उन्होने अपना अपना हिस्सा वादी को देने का कहा हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

लगातार 2

इस प्रकार से उक्त कृषि भूमि वादी तथा प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता की भूमि है, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का बंटवारा वादी के साथ करके घरू बंटवारा के अनुसार वादी को 2 एल.एन.पी के खाता संख्या 47/38 का मुरब्बा नम्बर 46 का किला नम्बर 24/2 (0.063), 25 (0.253) = 0.316 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 55 का किला नम्बर 4 ता 7 (1.012), 14/2 (0.127), 15, 16, 25 (0.759) = 1.898 हैक्टर कुल 2.214 हैक्टर नहरी कृषि भूमि बंटवारा में दी हुई है, जिस पर वादी काबिज चला आ रहा है तथा मौका पर काश्त कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, सहमति से बंटवारा तुम्हारे नाम करवा दूंगा। इस विश्वास पर वादी ने उक्त रकबा में मेहनत करके सुधार कार्य करवाया है।

कुछ दिन पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि वह वादी के हिस्सा की भूमि वादी के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 टाल मटोल करता रहा तथा दिनांक 01.06.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को उसके हिस्से की भूमि देने से इन्कार कर दिया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1, वादी को हक व न्याय नही देना चाहता है। यही वाद कारण है।

प्रतिवादी संख्या 1 के मन में लालच आ गया है तथा वादी को उसका हिस्सा नहीं देना चाहता है, यदि प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि को विक्रय आदि कर दिया तो वादी अपने हक वा हिस्सा से वंचित तो होगा तथा बिना वजह मुकदमाबाजी में फंस जाएगा, इसलिए यह दावा लाना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :—

1. वाके 2 एल.एन.पी के खाता संख्या 47/38 का मुरब्बा नम्बर 46 का किला नम्बर 24/2 (0.063), 25 (0.253) = 0.316 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 55 का किला नम्बर 4 ता 7 (1.012), 14/2 (0.127), 15, 16, 25 (0.759) = 1.898 हैक्टर कुल 2.214 हैक्टर नहरी कृषि भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादी के नाम से दर्ज करवाई जाकर, लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।
2. अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 09.06.2017 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये उभयपक्ष की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत चक महाराजका द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि गांव के मौजूज व्यक्तियों ने वादी एवं प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादी एवं प्रतिवादी के मध्य कोई मनमुटाव नहीं रहा है तथा पंचायत द्वारा वादी एवम् प्रतिवादी की आपसी सहमति से भूमि का बंटवारा कर लिया है तथा बंटवारा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को निम्न प्रकार से भूमि दे दी गई है :—

1. वादी मोहनदीप सिंह का हिस्सा :— वाके 2 एल.एन.पी के खाता संख्या 47/38 का मुरब्बा नम्बर 46 का किला नम्बर 24/2 (0.063), 25 (0.253) = 0.316 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 55 का किला नम्बर 4 ता 7 (1.012), 14/2 (0.127), 15, 16, 25 (0.759) = 1.898 हैक्टर कुल 2.214 हैक्टर नहरी कृषि भूमि

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

AIV/3

वादी एवं प्रतिवादीगण ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर यह राजीनामा किया है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 अपनी स्वेच्छा से अपनी पैतृक भूमि में से कोई हक वा हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपने अपने हिस्सा का हक परित्याग अपने पिता व भाई के पक्ष में यानि वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष करती हैं। अतः उक्त वर्णित अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान को कोई उजर वा एतराज ना होगा।

राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र वर्णित भूमि का पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद है राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राज्य पक्ष के हितो को ध्यान में रखते हुए निर्णय आवेदित है।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकियात नहीं बनाई गई। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे तथा शपथ पत्र पर बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्ता नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्ता की बहस पर मनन किये जानें पर

चक 2 एल.एन.पी के खाता संख्या 47/38 का मुरब्बा नम्बर 46 तथा मुरब्बा नम्बर 55 की कुल 2.214 हैक्टर नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की विरास्तन भूमि होनें के कारण तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

—:: आदेश ::—

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत चक 2 एल.एन.पी के खाता संख्या 47/38 का मुरब्बा नम्बर 46 का किला नम्बर 24/2 (0.063), 25 (0.253) = 0.316 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 55 का किला नम्बर 4 ता 7 (1.012), 14/2 (0.127), 15, 16, 25 (0.759) = 1.898 हैक्टर कुल 2.214 हैक्टर नहरी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 09.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत साधूवाली के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर